

(12)

or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

1. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Song and Drama Division).

—Chairman

2. Additional Director General, All India Radio

—Member

3. Additional Director General, Doordarshan

—Member

[F. No. 1/2(4)/2010-FS]

A. K. BISWAS, Desk Officer

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (निदेशक, मोटर वाहन) भर्ती नियम 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय में डाक सेवा बोर्ड के अधीन निदेशक (मोटर यान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (निदेशक, मोटर यान) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति